

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/जीविवि/गोप/2013/2073

दिनांक :- 24.9.13
24/10/2013

प्रति,

विषय: प्राचार्य/वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष/केन्द्राध्यक्ष को अनुचित साधन प्रकरणों के संबंध में।

महोदय/महोदया,

विभिन्न परीक्षाओं के नकल प्रकरण (U.F.M. Cases) प्रायः अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण प्राप्त होते हैं। इस कारण ऐसे प्रकरणों के निराकरण प्रक्रिया में विलम्ब और असुविधा होती है। अधिकांश नकल प्रकरणों में पाई जाने वाली कमियाँ निम्नांकित हैं:-

1. अनुचित साधन प्रपत्र संलग्न न होना। प्रपत्र पूर्ण एवं विधिवत भरा हुआ न होना।
2. संबंधित विषय का प्रश्नपत्र अधिकांश प्रकरणों के साथ में न भेजना।
3. दो भिन्न विषय एवं विषय कोड की उत्तरपुस्तिकाएं एक ही लिफाफा/बण्डल में रखना।
4. नकल प्रकरण की प्रथम तथा द्वितीय उत्तरपुस्तिका को धागा/टैग से संलग्न न करना।
5. नकल में प्रयुक्त हाथ से लिखी पर्ची / पुस्तक या गाइड के पृष्ठों पर उड़नदस्ता / केन्द्राध्यक्ष की सील व हस्ताक्षर न होना तथा वांछित कॉलम में विवरण न भरना।
6. वीक्षक / केन्द्राध्यक्ष द्वारा प्रकरणों में वांछित टीप न देना।

अतः अपेक्षा है कि भविष्य में वांछित जानकारी सहित नकल प्रकरण-प्रपत्र तथा प्रश्नपत्र संलग्न कर प्रकरण भेजने की व्यवस्था करेंगे।

भवदीय

C. Shinde
परीक्षा नियंत्रक

